STATE OF NORTH CAROLINA
BOARD OF REVIEW

IN THE MATTER OF:

ATTN:

Higher Authority Decision No.

दावेदार नियोक्ता

N.C.Gen.Stat. §96-15(e) के अनुसार, यह कारण समीक्षा बोर्ड ("बोर्ड") के सामने **(दावेदार के) (नियोक्ता)** के द्वारा **अपील** लेबल संख्या--------के तहत अपील निर्णायक द्वारा लिए गए निर्णय पर की गई अपील पर विचार करने के लिए आया था। साक्ष्यों की सुनवाई अपील निर्णायक के समक्ष-------को कर ली गई है। अभिलेख में सबूतों की संपूर्णता में समीक्षा की गई है।

रोजगार सुरक्षा कानून की आवश्यकता है कि विभाग इस तरह से सुनवाई आयोजित करे कि पार्टियों के बहुत जरूरी अधिकारों को सुरिक्षत रखता है। N.C. Gen. Stat. §§ 96-15(c) और (f); 04 N.C. Admin. Code 24C .0209 देखें। दूसरे शब्दों में सभी पार्टियों को प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और मूल रूप से उचित प्रक्रिया प्रदान की जानी चाहिए। न्यूनतम प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के लिए सभी पक्षों को सुने जाने का अवसर उपलब्ध करवाना आवश्यक है। पक्ष सुने जाने के अधिकार का आनंद लें, इसके लिए उन्हें नोटिस दी जानी चाहिए।स्थाई कारण प्रक्रिया के लिए सभी पक्षों पर कानून के उचित और समान आवेदन करने की आवश्यकता होती है। जब दावेदार को काम से छुट्टी दे दी जाती है, तो नियोक्ता पर यह साबित करने का भार होता है, दावेदार का निष्काषन किसी कारण के लिए था, जो दावेदार को बेरोजगारी बीमा के लिए अयोग्य ठहराएगा। Guilford Cty. बनाम Holmes, 102 N.C. App. 103, 401 S.E.2d 135 (1991); Intercraft Indus. Corp. बनाम Morrison, 305 N.C. 373, 376, 289 S.E.2d 357, 359 (1982); Umstead बनाम Emp't Sec. Comm'n, 75 N.C.App. 538, 331 S.E.2d 218, प्रमाणपत्र अस्वीकृत, 314 N.C. 67, 336 S.E.2d 405 (1985)।जब रिकार्डों में कोई ऐसा सुबूत होता है, जो भौतिक मुद्दे पर निष्कर्ष का समर्थन करता है, तो बोर्ड किसी नियोक्ता को यह साबित करने के लिए अतिरिक्त अवसर नहीं दे सकता कि दावेदार को बेरोजगारी बीमा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। ऐसा करने से दावेदार के

Higher Authority Decision No.
पांच पृष्ठ म से दो

उचित परकिरया के अधिकार का उललंघन होता है, और नियोकता को यह साबित करने के लिए अतिरिकत अवसर परापत होता है कि दावेदार को बेरोजगारी बीमा परापत करने के लिए अयोगय घोषित किया जाना चाहिए। Dunlap बनाम Clarke Checks, Inc., 92 N.C. App. 581, 375 S.E.2d 171 (1989)।
डिवीजन ने सभी पाटिरयों को सभी गवाह, दसतावेज, रिकार्डिंग और अनय सबूतों को सुनवाई के दौरान परसतुत करने के दायितव के लिए नोटिस पर रखा। *अपील और सुनवाई: सतर 1* परारंभिक निधाररण पर अपील शीषरक वाली एक नीली पुसितका परतयेक पक्ष को निणारयक लेबल संखया द्वारा निधाररित की एक परति के साथ-------------पर भेजी गयी। पुसितका के पैनल 5 और 6 पर निमन भाषा होती है:

सुनवाई के लिए तैयार होने के लिए मुझे कया करना चाहिए ?
सुनवाई नोटिस को धयानपूवरक पढ़ें। मामले के बारे में कया कहा गया है, यह जानने के लिए नोटिस के साथ आए सभी दसतावेजों को धयान से पढ़ें।इससे आपको यह समझने में मदद

मिलेगे कि सुनवाई में कौन से

गवाहों को गवाही देनी चाहिए।सभी दसतावेज, रिकार्डिंग और सबूतों को, जो आपके मामले का समथरन करते हैं, एकतर करें। यदि सुनवाई फोन पर आयोजित की जाएगी, तो आपको सुनवाई की तारीख से पहले अपील निणारयक और सभी पक्षों के लिए अपने सबूत की परतियां परदान करनी होंगी। वयिकतगत सुनवाई के लिए सभी पक्षों और अपील निणारयक को देने के लिए पयार्प्त परतियां बनाए। अगर आप अपील निणारयक और अनय पक्षों को परतियां परदान नहीं करते, तो अपील निणारयक मामले का निणरय करने के लिए उस सबूत को संज्ञान में नहीं ले पाएंगे। अपने गवाहों को चुनें और उनहें सुनवाई के लिए उपलबध कराएं। परतयक्षदर्शी और परथम-हसत गवाही । परथम-हसत गवाही में वे गवाह शामिल होते हैं, जिनहोंने गड़बड़ी को देखा, सुना या महसूस किया है।यदि कथित अपराध की कोई रिकार्डिंग है, तो रिकार्डिंग सबसे अचछा सबूत है, गवाहों ने रिकार्डिंग में कया देखा और सुना, उसके विषय में गवाह की गवाही को साक्ष्य के आधार पर पेश नहीं किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा आरोप है जिसमें कोई पक्ष ऐसे दसतावेज पर हसताक्षर करता है, या लिखित रूप में कुछे जमा करता है, जिसे आप मामले के लिए परासंगिक मानते हैं, तो आप इसे साक्ष्य के तौर पर परसतुत कर सकते हैं, परंतु आपको दसतावेज की एक परति अपील निणारयक और अनय पक्षों को परदान करनी होंगी। टेलीफोनिक सुनवाई के लिए अपील निणारयक से संपकर करके अपने गवाहों के नाम और फोन नंबर उपलबध

करवाएं या अपनी नोटिस के साथ आई टेलीफोनिक सुनवाई परशनावली को भरकर वापस भेजें। 04 N.C. Admin. Code 24C .0209 देखें।

सुनवाई पर कया होगा ?

अपील निणारयक सुनवाई के दौरान अधयक्षता करेंगे, वहां मौजूद सभी लोगों की पहचान करेंगे और सुनवाई के उद्देशय की वयाखया करेंगे।

परशन पूंछने के अलावा, अपील निणारयक साक्ष्यों को सवीकार करेंगे और आवेदनों और आपिततयों को भी देखता है। आप और आपके गवाहों को गवाही देने, साक्ष्य परसतुत करने और किसी अनय के द्वारा परसतुत साक्ष्यों के विषय में परशन करने की अनुमति दी जाएगी। सुनवाई के अंत में आपको अपने मामले को संक्षेप में परसतुत करने का मौका मिलेगा।

सुनवाई की एक नोटिस, परदशरन संखया------------------सभी पक्षों को सुनवाई के () दिन पहले---------------------को भेजी गई। अनय बातों के अलावा नोटिस यह भी कहती है:

HOW TO GIVE EVIDENCE : शपथबद्ध गवाही आवशयक है। यदि आप गवाहों की गवाही दिलवाना चाहते है, तो उनहें सुनवाई में ऐसा करना होगा।यदि आपके पास गवाह दसतावेज, इलेक्‌ रानिक रिकार्डिंग या अनय साक्ष्य हैं, जिन पर आप सुनवाई अधिकारी द्वारा विचार करवाना चाहते हैं, तो आपको उनहें सुनवाई अधिकारी और परतयेक पक्ष के पास भेजना या पहुंचाना होगा। साक्ष्य सुनवाई के पहले पहुंच जाना चाहिए।

सुनवाई की नोटिस पक्षों को यह भी सूचित करती है कि वे सुनवाई केस्थगन का अनुरोध कर सकते हैं, तथा इसकी परकिरया के बारे में सूचित करती है। अचछा कारण दिखाने और सुनवाई से पहले, नियोकता अपने गवाहों को सुरिक्षत करने के लिए, या उससे साक्ष्य परापत करने के लिए या उनहें जमा करने के लिए अतिरिकत समय का अनुरोध कर सकता था।“अचछा कारण” यथोचित परिशरम के अभयास में कानूनी रूप से आवशयक कायर को करने में विफल रहने के लिए पयार्प्त रूप से उचित कानूनी कारण होना चाहिए।N.C. Gen. Stat. §)15-96d (1और 04 N.C. Admin. Code 24A . (26)0105देखें। यथोचित परिशरम का अथर है, जागरूकता, सावधानी और बचाव और विशेष पिरिसथतियों केतहत एक उचित और विवेकपूणर वयिकत द्वारा अपेक्षित अचछे निणरय का उपाय। 04 N.C. Admin. Code 24A .0105(21)।

यह पूर्वगामी लिखित नोटिस से स्पष्ट है कि नियोक्ता को सभी गवाही और अन्य साक्ष्यों को साक्ष्य सुनवाई में प्रस्तुत करने के दायित्व से स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया था। रिकार्डों में इस बात का भी कोई संकेत नहीं है कि नियोक्ता को सभी साक्ष्य या दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने से या 04 NCAC 24C .0207 के अनुसार सुनवाई को पुनर्निधारित करने की प्रार्थना करने से रोका गया ।इसलिए बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला है कि (दावेदार) (नियोक्ता) द्वारा प्रक्रियात्मक कारण प्रक्रिया की पूर्ति होती है। रिकार्डों में अपील निर्णायक द्वारा सुनवाई को पुनर्निधारित करने की प्रार्थना को मना करने के भी कोई संकेत नहीं हैं।

इस मामले में नियोक्ता ने उन गवाहों की गवाही दी, जो दावेदार के रोजगार से अलग होते समय आसपास की परिथस्थितियों में प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे। सुनवाई में नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत सभी गवाह अफवाह गवाही पर आधारित थे। अफवाह गवाही, जिसमें सुनवाई के दौरान गवाही देने वाले का वह कथन है, जिसका वह स्वयं प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और जो दावित मामले को सत्य साबित करने के लिए एक साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया है। N.C. Gen.Stat. §8C-1, Rule 801(c)। दूसरे शब्दों में, नियोक्ता ने उन लोगों की गवाही प्रस्तुत की जो संबंधित थे, परंतु मामले के प्रत्यक्षदर्शी या व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं थे, उन्होंने केवल वही दुहराया जो दूसरों ने कहा था या उन्होंने दूसरों से सुना था। परिणामस्वरूप, साक्ष्य को केवल गवाह की गवाही की विश्वसनीयता से पूरी तरह से अपना मूल्य प्राप्त नहीं करते हैं, परंतु मुख्य रूप से यह अन्य व्यक्ति की सत्यता व क्षमता पर निर्भर करती है।

हालंकि अफवाह साक्ष्य आम तौर पर की बेरोजगारी बीमा प्रतिस्पर्धी सुनवाई में स्वीकार्य हैं, यह केवल तभी स्वीकार की जाएगी, जब यह सुनवाई अपवाद के भीतर हो, या विश्वसनीयता की समकक्ष परिथस्थितियों की गारंटी देता है और यह उस बिंदु पर अधिक संभाव्य है, जहां इसे किसी अन्य साक्ष्य की तुलना में प्रदान किया जाता है, जिस पर अफवाह के प्रस्तावक इसे यथोचित तरीके से प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। 04 N.C. Admin. Code 24C .0210। नियोक्ता को, अफवाह साक्ष्य के प्रस्तावक के रूप में प्रथम दृष्टया साक्ष्यों की दक्षता दिखाने का भार उठाना होगा। इस मामले में नियोक्ता, दावेदार के रोजगार से अलग होने की परिथस्थितियों के विषय में किसी भी गवाह के निजी ज्ञान के साथ गवाही प्रस्तुत करने में असफल रहा। नियोक्ता ने यह नहीं दिखाया कि अफवाह साक्ष्य सुनवाई के नियमों के अनुसार अपवाद के भीतर थे, या विश्वसनीयता की समान परिथस्थितिजन्य गारंटी देता है और यह उस बिंदु पर अधिक संभाव्य है, जहां इसे किसी अन्य साक्ष्य की तुलना में प्रदान किया जाता है, जिस पर नियोक्ता द्वारा इसे यथोचित तरीके से प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। 04 N.C. Admin. Code 24C .0210 देखें।

बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दावों के मामले में अंतिम तक्ष्य खोजक के रूप में, बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला है कि अपीलीय निर्णायकों द्वारा प्राप्त किए गए तथ्य सक्षम प्रमाणों से समर्थित थे और उन्हे स्वयं के रूप में अपनाना गया था। बोर्ड ने यह निष्कर्ष भी निकाला है कि अपीलीय निर्णायकों ने प्राप्त तथ्यों पर यथार्थ व सही रूप से रोजगार सुरक्षा कानूनों(N.C. Gen.Stat. §96-1 et seq.) को लागू किया गया है, जैसा कि पाया गया है, और परिणामस्वरूप निर्णय कानून व तथ्यों के अनुसार था। जैसा कि नियोक्ता यह दिखाने में असफल रहा कि दावेदार को कदाचार के लिए हटाया गया था और N.C. Gen. Stat. § 96-14.6 के तहत लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

निर्णायक का निर्णय **(पुष्ट किया गया) (विपरीत) (संशोधित)** है।

दावेदारों को बेरोजगारी बीमा के लाभों के प्रारंभ के लिए **अयोग्य** घोषित किया गया।
अयोग्य नहीं घोषित किया गया

और बेरोजगारी बीमा के लाभों

का प्रारंभ प्राप्त होगा।

समीक्षा समिति के सदसय Susan Doeऔर John Doe ने इस अपील में भाग लिया और इस फैसले से सहमत हैं।

Higher Authority Decision No.

यह है:

BOARD OF REVIEW

....
Chairman

NOTE: उच्च प्राधिकरण निर्णय का यह निर्णय मेल करने के (30) दिनों के बाद अंतिम बन जाएगा जब तक कि उच्चतम न्यायालय में इसकी न्यायिक समीक्षा के लिए निम्नानुसार याचिका दाखिल नहीं की गई हो। मेलिंग की तिथि इस निर्णय के अंतिम पृष्ठ पर दी गई है। हालांकि बोर्ड कानूनी सलाह प्रदान नहीं करता है, कृपया उच्च प्राधिकरण निर्णय पर अपील करने के लिए संलग्न पुस्तिका देखें। यह पुस्तिका पूरे राज्य में सार्वजनिक रोजगार कार्यालयों और रोजगार सुरक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप रोजगार सुरक्षा की वेबसाइट WWW.des.nc.gov पर जाकर *अक्सर पूंछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ)* के अनुभाग पर जा सकते हैं और अपनी पसंद के वकील से परामर्श कर सकते हैं।

अपीलकर्ता द्वारा उच्च प्राधिकरण के इस निर्णय के खिलाफ अपील अपने निवास स्थान या अपने मुख्य व्यापार स्थल के क्षेत्र के उच्चतम न्यायालय के लिपिक के पास दर्ज की जानी चाहिए। यदि पार्टी North Carolina के किसी प्रांत में निवास नहीं करती या इसका मुख्य व्यापार स्थल यहां के किसी प्रांत में नहीं है, तो अपील North Carolina के Wake County के उच्चतम न्यायालय के लिपिक या उत्तरी कैरोलीना के उस क्षेत्र के उच्चतम न्यायालय के लिपिक के पास दर्ज करवायी जाएगी, जहां विवाद उत्पन्न हुआ था।

उच्च प्राधिकरण निर्णय का यह निर्णय मेल करने के (30) दिनों के बाद अंतिम बन जाएगा जब तक कि N.C. Gen. Stat. §§ 96-15(h) और (i) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका दाखिल नहीं की गई हो।

उच्चतम न्यायालय के लिपिक के पास दर्ज किसी भी याचिका की प्रतियां रोजगार सुरक्षा ("Division")के विभाग और सभी पक्षों के पास याचिका दाखिल होने के (10) दिनों के भीतर कार्यवाही के लिए भेज दी जानी चाहिए। याचिका की प्रतियां व्यक्तिगत सेवाओं या मेल के जरिए भेजी जानी चाहिए, और वापसी रसीद प्राप्त किए जाने की प्रार्थना की जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय की समीक्षा के लिए आवेदित याचिकाओं को विभागीय प्रक्रिआओं के लिए पंजीकृत एजेंट को संबोधित किया जाना चाहिए।

A. John Q Lawyer
Chief Counsel
North Carolina Department of Commerce
Division of Employment Security
Mailing Address: Post Office Box 25903, Raleigh, NC 27611-5903
Physical Address: 700 Wade Avenue, Raleigh, NC 27605-1154

IMPORTANT - SEE FOLLOWING

Higher Authority Decision No.
पांच पÃ मि से पांच

PAGE

NOTE: यदि आपको किसी अन्य पार्टी द्वारा न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका भेजी गई है, तो आप न्यायिक समीक्षा कार्यवाही के लिए तब तक एक पक्ष नहीं होंगे जब तक कि आप % (1) याचिका प्राप्त होने के (10) दिनों के भीतर उच्चतम न्यायालय को सूचित नहीं कर देते कि आप कार्यवाही के लिए एक पक्ष बनना चाहते हैं या (2) N.C. Gen. Stat. § 1A-1, के नियम 24, में उपलबधता के अनुसार हसतक्षेप के लिए एक परसताव दजर करें।

NOTICE TO ALL INTERESTED PARTIES

04 N.C. Admin. Code 24A .0105(32) (एक नियोक्ता के बेरोजगारी बीमा प्रशासक के रूप में सेवा करने वाली तृतीय-पक्ष की कंपनी से व्यक्तियों को शामिल करते हुए) में परिभाषित एक कानूनी प्रतिनिधि लाइसेंस प्राप्त वकील या N.C. Gen. Stat. Ch. 84 और § 96-17(b) के अनुसार लाइसेंस प्राप्त वकील के अंतरगत कार्य करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। **न्यायिक कार्यवाही के कानूनी प्रतिनिधित्व को N.C. Gen. Stat. Ch. 84 का अनुपालन करना चाहिए।**

04 N.C. Admin. Code 24C .0504 के अनुसार जब पक्ष का एक कानूनी प्रतिनिधि होता है, तो पक्ष को प्रदान किए जाने वाले सभी कानून जानकारी या दस्तावेज केवल कानूनी प्रतिनिधि को भेजे जाएंगे। कानूनी प्रतिनिधि को भेजी गई कोई भी जानकारी उसी बल और प्रभाव में मानी जाएगी, जैसे कि उसे सीधे पार्टी को भेजा गया हो।

30, जून या उसके बाद दर्ज किए गए दावों के लिए दावेदार अपील पर वापस ले लिए गए किसी न्यायिक निर्णय से प्राप्त लाभों के पुनर्भुगतान के अधीन हैं। N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2)

SPECIAL NOTICE TO CLAIMANTS: यदि आप अंतरनिहित दावों के संबंध में पहले से बेरोजगारी बीमा के लाभ प्राप्त कर रहे हैं या पहले से प्राप्त कर चुके हैं और इस उच्च प्राधिकरण निर्णय के नियमानुसार आप इस तरह के सभी लाभों के लिए अयोग्य पाए जाते हैं, या इन नियमों को पूरा नहीं करते, आपको N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2) के अनुसार लाभों का अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। यदि उच्च प्राधिकरण निर्णय से अधिक भुगतान तैयार होने पर आपको विभाग के लाभ समग्रता/ लाभ भुगतान नियंत्रण अनुभाग से अधिक भुगतान या अतिरिक्त भुगतान के निर्धारण का एक नोटिस अलग से भेज दिया जाएगा। यह नोटिस आपके

ऊपर अधिक भुगतान या अतिरिक्त भुगतान के अलावा आप पर लागू होने वाले अन्य किसी दंड का भी निर्धारण करेगी। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त भुगतान के खिलाफ आप एक ही रास्ता चुन सकते हैं, जो उच्च प्राधिकरण निर्णय की न्यायिक समीक्षा के लिए North Carolina के कानूनों और ऊपर दिए गए तरीके के अनुसार एक याचिका दायर करनी है। अपनी याचिका में आपको यह निर्दिष्ट करना होगा कि क्या आप अपील कर रहे हैं: (1) अयोग्यता या पात्रता के लिए और/या (2) इस परिणामी निर्धारण के लिए कि आपको लाभों का अधिक भुगतान प्राप्त हुआ है।

Appeal Filed: Decision Mailed: